न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी–श्री गंगाधर मीणा(आर.ए.एस.))

संख्या :– 10/2018 दायरा दिनांक: 03.07.2018 निर्णय दिनांक 17.09.21

अनुदान

1. बलबीर पुत्र हेतराम उम्र 61 साल
2. हीरालाल पुत्र हेतराम उम्र 59 साल
3. रमेषचन्द पुत्र हेतराम उम्र 57 जाति अहीर निवासी ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र जगदीष
2. सविता पत्नी लक्ष्मीनारायण
3. सरोज देवी पत्नी लालचन्द
4. सहीराम पुत्र टेकचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर।

–:- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अन्तर्गत धारा 251

उपस्थित :– श्री भगत सिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की निजी खोतदारी आराजी खसरान नम्बर 205, 206 एवं 204 का 1/5 हिस्सा ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम में अवस्थित है। ताईद में जमाबन्दी की नकल संलग्न है। उक्त प्रार्थी को निजी खातेदारी तक कृषि काश्त करने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी को कृषि काश्त करने में असुविधा उत्पन्न [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की निजी खातेदारी आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु [illegible] खसरा नम्बर 202 में से करीब 50 फूट लम्बा एवं 12 फिट चौडा रास्ता रिकार्ड में अंकित किया जा[illegible] इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु तैयार है अन्त में प्रार्थी [illegible]ने प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाने हेतु निवेदन करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया तहसीलदार कोटकासिम से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1985 नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार कोटकासिम के पत्र क्रमांक भू.अ. 2021/1018 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा रिपोर्ट तलब की जो शामिल पाती है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा र्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन या है कि प्रार्थी की निजी खोतदारी आराजी खसरान नम्बर 204व 206 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील ोटकासिम में अवस्थित है। ताईद में जमाबन्दी की नकल संलग्न हैं।उक्त की निजी खातेदारी तक कृषि काश्त रने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रार्थी को कृषि काश्त करने में असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की निजी खातेदारी आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु लगते हुये चाही–2 में खसरा नम्बर 202 में करीब 50 फिट लम्बा एवं 12 फिट चौड़ा रास्ता रिकार्ड में अंकित किया जाये इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार डी०एल0सी दर के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अन्त में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

4. उक्त प्रकरण में जाँच कर विश्लेषण करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क इस प्रकार है:–

251–क–अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहाँ

(क) कोई अधिमारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है : या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और जन सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर प्रस्तावित नये मार्ग के जरिये में पहुंचने को वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है

तो आदेश द्वारा आवेदक को अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar
Meena
Date: 2022.05.07 11:00:45 IST
Reason: SelfAttested

ट्रैक पर जो उस अभधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये भूमि में से होकर और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम का निकटतम रूठ से एक नया मार्ग जो 30फिट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, को, जो उस भूमि को भारत करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकार के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधारित किया जाये. अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहा ऐसे मार्ग को सावित करने वाली उस भूमि के सम्बंध में अभिनित की हुई समझी जायेगी और यह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपयोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उस सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. उक्त विधिक प्रावधानानुसार किसी खातेदार को अपनी निजी आराजी तक पहुंचने हेतु किसी अन्य खावेदारी भूमि में से होकर रास्ता कायम करवाने हेतु निम्न पूर्वशर्तो का पूर्ण होना अपरिहार्य है–

1. अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता।
2. रास्ते हेतु आयान्तिक आवश्यकता।

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के द्वारा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या–2 से होती है। अतः पूर्वशर्त संतुष्ट मुताबिक तथ्य है। पैरा संख्या–2 से आत्यान्तिक आवश्यकता साबित होती है जिसे पूर्वशर्त संख्या–1 सतुष्ट मुताबिक पत्रावली है। साथ ही राजस्व विभाग, राजस्थान सरकारका परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का उद्धरण यहां उचित प्रतित होता है :–

राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के लिए सम्बन्धित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्वण किया जकार रास्तें का राजस्व रिकार्ड मं अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्र[illegible]ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पड़ती है तो उसका भी समाधान किया जाता है[illegible] आपस में सहमत नहीं है, तो व खातेदार जिसको जोत तक पहुचनें के लिए अन्य खातेदार [illegible] जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251– क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है। लेकिन ऐसे प्रकरण जिसने खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई करता नहीं है। खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

राजकीय भूमि में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने–जाने के लिए रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

7. उक्त पत्रावली के तथ्यों राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क व राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 एवं सन्दर्भित परिपत्र के विधिक प्रावधानुसार किसी निजी खातेदार को अपनी आराजी तक आमद–रफत हेतु लघुत्तम मार्ग वाला 30 फुट से अनाधिक चौड़ाई वाला रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जाकर रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जा सकता है। उक्त विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित प्रतित होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार विहित क्षतिपूर्ति राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्रार्थी की निजी खातेदारी आराजी तक आराजी खसरा नम्बर 202 किस्म चाही–2 में से होकर 50 फिट लम्बाई पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण में 12 फिट चौडाई में सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जाकर राजस्व रिकार्ड मय नक्शा में तरमीम किया जाने के तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये जाते है रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिए उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। निर्णय की पालना हेतु प्रति तहसीलदार कोटकासिम को भिजवाई जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.21 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(गंगाधर मीना IAS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)